संख्या-11/2020/874/92-1-2020-56आरईएस/2005

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 **लखनऊः27 फरवरी, 2020**

विषयः- **ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सृजित अधीक्षण अभियंता के 06 अस्थायी पदों की निरन्तरता के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजस्व मण्डलों-बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़, मिर्जापुर, चित्रकूट एवं अलीगढ़ में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता (वेतनमान रू0- 37400-67000, ग्रेड पे रू0-8700) के 01-01 अस्थायी पद (अर्थात कुल 06 अस्थायी पदों) को सृजित किये जाने की स्वीकृति शासन के पत्र संख्या-2987/92-2013-56आरईएस/2005, दिनांक 16.12.2013 द्वारा दिनांक 28.02.2014 तक के लिए प्रदान की गयी थी एवं पत्र संख्या-13/2019/507/92-1-2019-56आरईएस/2005, दिनांक 13.02.2019 द्वारा उक्त 06 अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 29.02.2020 तक के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत सृजित किये गये अधीक्षण अभियंता के उक्त 06 अस्थायी पदों को बनाये रखने की आवश्यकता एवं औचित्य के दृष्टिगत राजस्व मण्डलों-बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़, मिर्जापुर, चित्रकूट एवं अलीगढ़ हेतु सृजित अधीक्षण अभियंता (वेतनमान-37400-67000, ग्रेड पे-रू0 8700) के उक्त 06 अस्थायी पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या-2987/92-2013-56आरईएस/2005, दिनांक 16.12.2013 में उल्लिखित शर्त के अधीन दिनांक 28.02.2021 तक के लिए बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- प्रश्नगत अस्थायी पदों की निरन्तरता क्रमागत स्वीकृति संबंधी आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02.12.1998 में प्राप्त प्रतिनिहित अधिकारियांे के अन्तर्गत आवश्यक एवं औचित्य के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्याः-11/2020/874(1)/92-1-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।